



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936

No. 96]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/MAGHA 27, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 100(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में उपाबंध 3 के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित उपाबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

## "उपाबंध-IV"

ऐसे फार्मों को जो पीनियस मोनोडान संवर्धन के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, लाइटोपिनियस वेन्नामई संवर्धन अनुज्ञात करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत -

(1) इस प्रकार के संवर्धन के अधीन अधिकतम भंडारण सघनता बीस ब्रूडस्टाक प्रतिवर्ग मीटर अनुज्ञेय है।

(2) वातक सुविधा का उपयोग सीमित होगा और केवल आपात स्थिति के दौरान और/या संवर्धन के अंतिम दो मास के दौरान अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) बायोमास और निम्न निवेशी कृषि को ध्यान में रखते हुए केवल प्रति हेक्टेयर अधिकतम छह हार्स पावर के वातक अनुज्ञात होंगे।

- (4) सफल संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए फार्म के आकार पर विचार किए बिना जैव सुरक्षा की अपेक्षाएं आवश्यक हैं।
- (5) दो हेक्टेयर तक क्षेत्र वाले फार्म के लिए जलाशय तालाब वैकल्पिक होंगे।
- (6) दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले फार्मों के लिए जलाशय तालाब अनिवार्य हैं।
- (7) तालाबों को भरने के दौरान गैर निसंक्रामक उपनदिका का जल के उपयोग से होने वाले रोगों के जोखिम से बचने के लिए, संचयन से पूर्व जल का निष्संक्रमण तालाब में ही होना चाहिए, यदि उनके पास जलाशय तालाब नहीं है।
- (8) शून्य जल विनियम प्रणाली का सर्वथा अनुसरण किया जाएगा जिसमें प्रोबायोटिक्स द्वारा इन-सीटू बायोरेमेडिएशन क्या जाएगा।
- (9) निस्संक्रामक, बाड़ा (व्यक्ति, केकड़ा, पक्षी) जैसे अन्य सभी जैव सुरक्षा उपायों और श्रमिकों तथा उपकरणों के लिए निस्संक्रामक नयाचार का सर्वथा अनुसरण किया जाना चाहिए।
- (10) पांच हेक्टेयर से अधिक के पीनियस मोनोडान फार्म में अपशिष्ट उपचार प्रणाली अनिवार्य है। लाइटोपिनियस वेन्नामई संवर्धन की दशा में सभी फार्मों के लिए उनके आकार पर ध्यान दिए बिना अपशिष्ट उपचार प्रणाली तब अनिवार्य होगी जब वे लाइटोपिनियस वेन्नामई संवर्धन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा उपबंधित प्रति वर्ग मीटर साठ भंडारण सघनता का अनुसरण कर रहे हों। लाइटोपिनियस वेन्नामई के निम्न सघनता (अर्थात् प्रति वर्ग मीटर बीस) से संवर्धन में पांच हेक्टेयर से कम से फार्म के लिए अपशिष्ट उपचार प्रणाली को वैकल्पिक छोड़ दिया गया है जैसे उसका पीनियस मोनोडान संवर्धन की दशा में अनुसरण किया जाता है।
- (11) चूंकि निम्न भंडारण सघनता के कारण अपशिष्ट उपचार प्रणाली वैकल्पिक है इसलिए प्राकृतिक वातावरण में निर्गमनों को निवारित करने के लिए पैदावार केवल ड्रैग नेट द्वारा ली जाएगी।
- (12) संवर्धन और उपज के पश्चात् तालाब के पानी को छोड़े जाने से पहले बचे हुए कणों को नीचे बैठाने और निस्संक्रामक करने के लिए कम से कम तीन दिन तक प्रतिधारित किया जाएगा।
- (13) यद्यपि ये मार्गदर्शक सिद्धांत जैव सुरक्षा प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए छोटे स्वतंत्र किसानों के फायदे के लिए जारी किए गए हैं तथापि यह सदैव उपयुक्त होगा कि साझा जलाशयों, साझा अपशिष्ट उपचार प्रणाली तथा सामूहिक जैव सुरक्षा प्रोटोकाल के साथ सामूहिक खेती की जाए।
- (14) रूपांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किसान इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार लाइटोपिनियस वेन्नामई के निम्न सघनता संवर्धन करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को, पृष्ठांकन लिए अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के साथ पत्र दे सकते हैं। संकाय का उपयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् पृष्ठांकन किया जाएगा।
- (15) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का कोई उल्लंघन होने से तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उपबंधित अन्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त एस.पी.एफ. लाइटोपिनियस वेन्नामई संवर्धन करने हेतु जारी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 35029/6/2014-मा. (ट्रेड)]

राजा शेखर बुन्दू, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 740(अ) तारीख 22 दिसंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 302(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. 914(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2009, सा.का.नि. 280(अ) तारीख 23 मार्च, 2012, सा.का.नि. 695(अ) तारीख 14 सितंबर, 2012, सा.का.नि. 667(अ) तारीख 15, सितंबर, 2014 और सा.का.नि. 64(अ) तारीख 28, जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2015

**G.S.R. 100(E).**—In exercise of the powers conferred by section (3) read with clause (a) of sub-section (2) of section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, after Annexure-III, the following Annexure shall be added at the end, namely:—

## “Annexure-IV

**Guidelines for permitting farms which are registered for *Penaeus monodon* culture to take up *Litopenaeus vannamei* culture**

- (1) Maximum stocking density of twenty numbers of brood stock per square meter is permissible under this type of culture.
- (2) The usage of aerator facility shall be restricted and be permitted only during emergency and/or during the last two months of culture.
- (3) Considering the biomass and low input farming, maximum of six horse power aerators per hectare only will be permitted.
- (4) Biosecurity requirements are essential irrespective of the size of the farm for ensuring successful culture.
- (5) For farms having area of upto two hectares, the need for reservoir ponds is left optional.
- (6) For farms having area of more than two hectares, reservoir ponds are mandatory.
- (7) To avoid the risk of disease occurrence using non-disinfected creek water while filling up the ponds, water disinfection prior to stocking should be done in the pond itself, in case if they do not have the reservoir ponds.
- (8) Zero water exchange system should be strictly followed with in-situ bioremediation with probiotics.
- (9) All the other biosecurity requirements like filtration, fencing (men, crab, bird) and disinfection protocol for the labour and implements should be strictly followed.
- (10) Effluent treatment system (ETS) is mandatory in *P. monodon* farms of above five hectares. In case of *L. vannamei* culture, ETS is mandatory for all farms irrespective of the size when they follow the stocking density of up to sixty numbers per square meter as provided in the Guidelines for *L. vannamei* culture. In low density culture of *L. vannamei*, (i.e., twenty numbers per square meter), ETS is left optional for farms of less than five hectares as was followed in the case of *P. monodon* culture.
- (11) Since ETS is optional on account of low stocking density, in order to prevent escapees into the natural environment, the harvesting shall be done only through drag netting.

- (12) After the culture and harvest, the water in the pond shall be retained for at least three days for the settlement of suspended particles and disinfected before release.
- (13) Though these guidelines are issued having due regard to the bio-security protocols to the benefit of small independent farmers, it is always advisable to go for group farming with common reservoirs, common ETS and collective biosecurity protocols.
- (14) To make the process of conversion simpler, the registered farmers can submit a letter to the Authority seeking permission for doing low density *L. vannamei* culture as per these guidelines along with their registration certificate for endorsement. The endorsement will be made after suitable inspection of the facility.
- (15) Any violation of these Guidelines shall result in cancellation of the permission issued for taking up of SPF *L. vannamei* culture besides other actions provided under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 and rules and regulations made thereunder."

[F. No. 35029/6/2014-Fy (Trade)]

RAJA SEKHAR VUNDRU, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 740(E), dated the 22nd December, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 302(E), dated the 30th April, 2009, G.S.R. 914(E), dated the 18th December, 2009, G.S.R. 280(E), dated the 23rd March, 2012, G.S.R. 695(E), dated 14th September, 2012, G.S.R. 667(E), dated 15th September, 2014 and G.S.R. 64(E), dated 28th January, 2015.